राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2) ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010–11 जयपुर दिनांक 5 मई, 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान
समस्त (राजस्थान)

विषयः– मस्टररोल में श्रमिकों का नियोजन एवं कार्य की माप ग्रुप वार नहीं करने की गंभीर अनियमितता सम्बन्धी शिकायत।

संदर्भः– विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4(5) ग्रावि/ग्रारो/सामान्य/ NREGS/08–09 दिनांक 08.10.08, पत्र क्रमांक पीएस/आरडी एण्डपीआर/2008 दिनांक 10.10.08, पत्र क्रमांक एफ 4(5) ग्रावि/ग्रारो/सामान्य/NREGS/ 08–09, दिनांक 25.08.8 पत्र क्रमांक एफ 4(5) ग्रावि–3/नरेगा/8/09 दिनांक 17.06.08, पत्र क्रमांक एफ 4(23) ग्रारो/नरेगा/06 दिनांक 24.03.09 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 20,07,2010, 31.08.2010 एवं 15.11.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा श्रमिकों का नियोजन ग्रुपवार करने एवं तदनुसार ही अलग–अलग ग्रुप के टॉस्क के अनुसार अलग–अलग दरो से भुगतान के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। यह समस्त दिशा निर्देश विभागीय वेब–साइट nrega.raj.nic.in पर भी उपलब्ध है।

राज्य सरकार को अवगत हुआ है कि पंचायत समितियों से जारी किये जाने वाले ई–मस्टररोल मे श्रमिकों के नामों को उनके चाहे अनुसार समूहवार अंकित नहीं किया जा रहा है, परिणामस्वरूप अनेक कार्य स्थलों पर श्रमिक न तो समूह में कार्य कर रहे हैं और न ही उनके द्वारा किये गये कार्यो का माप ही समूहवार हो रहा हैं एवं इन कार्यो पर सभी श्रमिकों को औसत मजदूरी ही दी जा रही है जो गंभीर अनियमितता है।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 15.11.10 को इस सम्बन्ध में पुनः विस्तृत निर्देश देकर नरेगा मेट निर्देशिका में भी इस व्यवस्था को लागू करने सम्बन्धी विस्तृत उल्लेख किया गया है परन्तु जेटीए एवं मेट के नाप के अनुपात को ई–मस्टररोल में दर्ज करने की पुख्ता व्यवस्था अभी तक आप द्वारा नहीं की गई है एवं इस बाबत गहन प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया है, जो अनुचित है।

हस्ता.

नागरिक संगठनों से एवं विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह भी जानकारी में आया है कि यद्यपि ग्राम पंचायत द्वारा श्रमिकों के फार्म न0 6 में इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि वह किस समूह में काम करना चाहते हैं लेकिन पंचायत समिति स्तर से ई–मस्टररोल जारी करते समय उनके द्वारा चाहे गये समूह का ध्यान नही रखा जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि नरेगा सॉफ्टवेयर के ऑफ लाईन वर्जन में एक ग्राम पंचायत के श्रमिकों की मांग फीड की जाने के उपरांत श्रमिकों को कार्य का आंवटन किया जाता हैं। मस्टररोल जनरेट करते समय कम्प्यूटर द्वारा यह ऑप्शन मांगा जाता है कि समूह (ग्रुप) का निर्धारण दस्ती करना चाहते हैं अथवा स्वचालित। इस समय समूह (ग्रुप) का निर्धारण दस्ती करने का ऑपशन लेने पर एक कार्य विशेष में आंवटित किये गये सभी श्रमिकों के नाम कम्प्यूटर में दिखाई देते है। जिन–जिन श्रमिकों का एक समूह बनाना हो उन्हे एक समूह के लिए चयन किया जाना होता है। इस प्रकिया से समूह, श्रमिकों द्वारा चाहे अनुसार बनाया जाना संभव हैं एवं मस्टररोल में श्रमिकों के नाम का चयनित समूह वार आते हैं। यदि मस्टररोल जेनरेट करने के ऑपशन के समय दस्ती के स्थान पर स्वचालित आप्शन लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कम्प्यूटर जोब कार्ड नम्बर के बढते हुए क्रम में समूह का गठन कर देता है एवं पूर्णतया गलत तरीके से श्रमिक नियोजन हो जाते है। अतः निर्देश है कि पंचायत समिति स्तर पर मस्टररोल जारी करते समय समूह गठन में इस दस्ती ऑप्शन का उपयोग किया जावे।

उक्त सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से विभाग को दिनांक 17.05.2011 तक अवगत करावे।

भवदीय

(सी.एस. राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को उक्त निर्देशों की प्रति अधीनस्थ समस्त विकास अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं डाटा ऐन्ट्री ऑपरेटर्स को उपलब्ध करवाकर पालना हेतु

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त) राजस्थान
2 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद जयपुर।

5/5/11.

परियोजना निदेशक ईजीएस